HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3740/2013

1. J. En. , Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Atru, District Baran (Raj.)
2. Superintending Engineer, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd, Atru District Baran (Raj.)
3. Chairman, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Kalli Bai wife of Late Premchand, aged about 35 years, resident of Khedali Ganj, Atru, District Baran (Raj.)
2. Meena daughter of Late Premchand, aged about 14 years,
3. Kiran daughter of Late Premchand, aged about 7 years
   2 & 3 are minor represented through their natural guardian (Mother) Kalli Bai wife of Late Premchand, aged about 35 years, resident of Khedali Ganj, Atru, District Baran (Raj.)
4. Kaidar Thekedar son of Shri Harivallabh, resident of Main Market Kawai, Tehsil Atru, District Baran (Raj.)

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Anil K. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sanjay Kumar Singhal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>25/03/2026</u>

अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण (आगे ''अपीलार्थीगण'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 बारां द्वारा प्रकरण संख्या–W.C.C./F/20/2006 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थीगण/दावेदारों की क्लेम याचिका स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में कुल 4,98,088/–रूपये का अवार्ड 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पारित किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का निवेदन है कि मृतक प्रेमचंद उनके किसी भी रूप में कर्मचारी नहीं था। कथित ठेकेदार प्रत्यर्थी क्रम–4 को

अपीलार्थी द्वारा किसी भी कार्य का कोई ठेका नहीं दे रखा था। उनका निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष व निर्णय साक्ष्य के अभाव में होकर पूर्णतः मनमाना व अनुचित (परवर्स) है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण–दावेदारान का निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की ओर से जो आपत्ति उठाई गई है, वह तथ्यों के संबंध में है, विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे ''अधिनियम–1923'' कहा जावेगा) की धारा 30 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है।

न्यायिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (पूर्वोक्त) के पैरा संख्या–9, 10, 11 व 12 सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैंः–

> **9.** At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.
>
> **10.** The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved

either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण–दावेदारान के पति व पिता की बिजली के पोल पर कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु होना क्लेम याचिका में बताया गया है। दावेदारों की ओर से यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी क्रम–4 केदार द्वारा अपीलार्थीगण से अटरू क्षेत्र में स्थित विद्युत लाईन के रख–रखाव हेतु ठेका ले रखा था और ठेकेदार द्वारा मृतक को कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर रखा था। घटना दिनांक 19.10.2006 को ठेकेदार के निर्देश पर बिजली लाईन के संधारण हेतु पोल पर मृतक कार्य कर रहा था, तब उस समय शट–डाउन नहीं लिया गया और मृतक की करंट से मृत्यु हो गई।

विचारण न्यायालय में मृतक की पत्नी तथा दावेदार कल्लीबाई ए.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में जाहिर किया है कि केदार ने बिजली विभाग से लाईट का ठेका ले रखा था, उसके पति ठेकेदार के यहां नियोजित था। घटना के दिन ठेकेदार ही बुलाकर ले गया था लेकिन प्रतिपरीक्षा में यह गवाह जाहिर करती है कि केदार बिजली विभाग का ठेकेदार था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। केदार ने मृतक को कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर रखा है, ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह ने जाहिर किया है कि केदार को किसी भी कार्य का उनके द्वारा ठेका नहीं दिया गया है, कोई ठेका होता तो लिखित में दस्तावेज अवश्य निष्पादित होता। केदार ने भी अपनी साक्ष्य में

अटरू क्षेत्र में अपीलार्थी से कोई ठेका ले रखा हो तथा मृतक उनके यहां नियोजित हो, इस तथ्य से इनकार किया है।

यद्यपि घटित दुर्घटना के संबंध में केदार ठेकेदार की लापरवाही मानते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्टट्रैक, छबड़ा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–02/2007 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2007 के माध्यम से केदार को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषी करार दिया गया है, लेकिन आपराधिक मामले में दिये गये निर्णय तथा प्रस्तुत साक्ष्य सिविल मामले में ग्राह्य व स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का विवेचन करने के उपरांत यह निष्कर्ष दिया है कि केदार द्वारा अपीलार्थी से कोई ठेका नहीं लिया गया था और इस निष्कर्ष के बावजूद बिना किसी उचित आधार व साक्ष्य के मृतक को अपीलार्थी विद्युत निगम का कर्मचारी होना अभिनिर्धारित करते हुए क्लेम याचिका अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार की गई है, जबकि इस संबंध में कोई लेशमात्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Damodar Lal Vs. Sohan Devi (2016) 3 SCC 78 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि जहां न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो अथवा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर पारित किया गया हो, तो ऐसा निर्णय मनमाना, अनुचित तथा परवर्स माना जायेगा और यह विवाद विधि के सारवान प्रश्न की श्रेणी में होगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय साक्ष्य के अभाव में होकर मनमाना, अनुचित व परवर्स है, ऐसी स्थिति में अधिनियम–1923 की धारा 30 के प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होते है, अतः अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने तथा यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2013 को अपास्त किया जाता है। स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख, यदि प्राप्त हो रखा है, तो आदेश की प्रति के साथ प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /61